न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/2012

1. बलविन्द्रसिंह 2. सरजीतसिंह 3. जसवंतसिंह 4. कलवंतसिंह 5. मलकीयतसिंह	पिसरान होशियारसिंह	जाति कम्बोजसिख निवासीगण 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. रणजीतसिंह 7. गुरमीतसिंह 8. बलजीतसिंह	पिसरान भजनसिंह	
9. कुलदीपसिंह 10. कुलविन्द्रसिंह	पिसरान बलवंतसिंह	
11. मुख्त्यारसिंह 12. होशियारसिंह 13. भजनसिंह 14. बलवंतसिंह	पिसरान राजासिंह	निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. केवलसिंह 2. जोगेन्द्रसिंह 3. महेन्द्रसिंह 4. बिन्द्रसिंह 5. जैलसिंह	रलासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरदेवसिंह 7. भूपेन्द्रसिंह 8. राजेन्द्रसिंह	पिसरान रेशमसिंह पोते रलासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

17/5/16

9. जसविन्द्रकौर पुत्री रेशमसिंह पोती रलासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. चरणकौर बेवा रेशमसिंह ससुर रलासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. प्रितपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. गुरजिन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. जसपालसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. बक्शीशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. त्रिलोचन कौर बेवा अवतारसिंह
16. परमिन्द्रसिंह
17. राजवरिन्द्रसिंह — पिसरान अवतारसिंह — जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
18. मनजिन्द्रसिंह
19. बलवंतसिंह पुत्र साधुसिंह
20. महेन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह — जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. जसवन्तकौर पत्नी कलवन्तसिंह
22. राजेन्द्रसिंह पुत्र कलवन्तसिंह
23. स्टेट आफ राजस्थान।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 10.05.2012

उपस्थितिः—

श्री कुलवंतसिंह संधू अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मलकीतसिंह नन्दा अभिभाषक रेस्पों सं. 1 से 8

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

17/5/18

निर्णय दिनांक 17.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक वाद राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 88 का पेश कर वाद पत्र की मद सं. 6 में चक 12 क्यू व 10 क्यू में वर्णित भूमि का विभाजन जिस–जिस वादी के कब्जा काश्त में है, वह विभाजन में मिली आ रही है। उसका विभाजन करने का निवदेन किया एवं चक 12 क्यू व 10 क्यू का रकबा वाद पत्र की मद सं. 6 के अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 31 से 36, 15 से 19 ने इकवाली जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 24 से 27 ने जबाबदावा पेश कर वाद पत्र की मद सं. 5 व अन्य मदों में दर्ज कथनानुसार चक 11 क्यू की भूमि का विभाजन अच्छी व माडी के हिसाब से प्रस्ताव मंगवाये जाने व चक 12 क्यू की भूमि का कब्जा दिलाते हुए शेष भूमि का कब्जा दिलाये जाने एवं मध्यवर्ती लाभ दिलाये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 12 से 14 ने जबाब दावा पेश कर चक 10 व 12 क्यू की मुश्तर्का खाता की भूमि का विभाजन करने एवं जबाब दावा की मद सं. 5 में अंकित अनुसार प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त देने व रास्ता दिलाने पर विभाजन करवाने में सहमति जाहिर की।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने तीन तनकीयात कायम की। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 10.05.2012 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि चक 10 क्यू व 12 क्यू की है इसलिए दोनों चकों की आराजी के सम्बन्ध में एक दावा नहीं लाया जा सकता। अपीलांट ने अधी. न्यायालय में यह निवेदन किया था कि विवादित भूमि किस्म अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाये जावें। किन्तु अधी. न्यायालय ने ऐसा न कर डिक्री जारी कर दी। अधी. न्यायालय ने पक्षकारों के हिस्से

17/5/18

व उनके कब्जे काश्त की रिपोर्ट तहसीलदार श्रीगंगानगर से मंगवाई थी जिसमें केवल वादीगण के रकबे का ही विवरण दिया है, जिसपर अपीलांट ने एतराज किया था। अधी. न्यायालय द्वारा दोनों के रकबे की रिपोर्ट मंगवाए बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना ही अन्तिम डिक्री जारी कर दी। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का कोई हवाला नहीं दिया जबकि बंटवारा के दावा में प्राथमिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी एवं पक्षकारों को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना राज.काश्त.अधि.(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 2013 पेज 714, आर.आर.डी. 2015 पेज 449, 739, 742 , आर.बी.जे. 2016 पेज 536 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी विभाजन हो चुका था जिसके अनुसार ही सभी अपनी–अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। आज तक किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन में कोई एतराज नहीं किया। रिकार्ड अनुसार भूमिधारी द्वारा मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त अलग–अलग दिखाया गया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमत है। जहां तक अपीलांट का यह कथन रास्ता नहीं मिला है। रास्ता स्वीकृत करवाने की अलग प्रक्रिया है जिसके सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की थी जिनका निस्तारण हो चुका है। दावे में किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिया जा सकता। अधी. न्यायालय ने वाद का जो निर्णय किया है उसमें कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने अधी. न्यायालय के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53 व 88 का वाद पेश किया था। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने वाद बिन्दु कायम किये।

12/5/18

अपीलार्थीगण ने अपने जबाब दावा में यह अंकित किया है कि चक 10 क्यू की भूमि का अच्छी व माडी के हिसाब से विभाजन कर रकबा एक टुकडे में दिलाया जावे। इसीप्रकार चक 12क्यू की भूमि का कब्जा भी भूमि दिलाते हुए शेष भूमि का कब्जा दिलाया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 12 से 14 व 21 ने अपने जबाब दावा में रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया है। अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा खाता विभाजन कर खातेदार घोषित किया गया है जबकि अधी. न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादीगण ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर एतराज पेश किये थे एवं अधी. न्यायालय ने यह प्रा.पत्र अपने आदेश दिनांक 21.03.2012 को स्वीकार कर लिया था। किन्तु किसी प्रकार की प्राथमिक डिक्री जारी न कर विभाजन के प्रस्ताव नहीं मंगवाए और न ही अपीलाधीन आदेश में रास्ता के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2012 निरस्त कर प्रकरण अधी. न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सम्बन्धित तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाकर राज.काश्त. (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना करते हुए एवं वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत आर.आर.डी. 2015 पेज 742 व राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व(ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प./5(1)राज–6/07 दिनांक 6.11.2004 को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर